मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रतिमाह एक निश्चित दिवस प्रत्येक गुरूवार व सोमवार को प्रत्येक आंगन–वाड़ी केन्द्रों/उप केन्द्रों/दूरदराज के गांवों में मातृ–शिशु एवं पोषाहार दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत निम्न सेवायें है :–

- गर्भवती महिला का पंजीकरण और जांच।
- गर्भवती महिला को लौह एवं फॉलिक एसिड (आई.एफ.ए.) गोलियां उपलब्ध कराना।
- सभी गर्भवती महिलाओं को टिकाकरण के लिये टिटेनस की दो मात्रा।
- गर्भकाल के दौरान असामान्य कमी के लिये उचित अस्पताल में रेफर।
- संस्थागत प्रसूति के लिये प्रोत्साहन।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर एच.एम.)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन, मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में, निर्धन,महिला एवं बालकों हेतु गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता तथा पहुॅच बढ़ाना है । इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाया जायेगा व स्वास्थ्य की ढ़ॉचागत सुविधाओं मे एक समानता लाई जाएगी, संस्थागत एकीकरण होगा, उपलब्ध स्वास्थ्य मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग होगा,तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण होगा व सामुदायिक भागीदारी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2005–2012 तक होगा। राजस्थान में यह कार्यक्रम ———— जून 2005 को आरम्भ हुआ। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य के मुद्दों में साफ–सफाई, पोषाण व स्वच्छ पेयजल पर भी ध्यान किया जाएगा। पांच वर्ष का जिला एक्शन प्लान बनेगा, जिसमें पंचायती राज सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर योजना बनेगी जिसमे स्वास्थ्य उपकेन्द्र को 10,000 रूपये प्रति उपकेन्द्र की सहायता द्वारा सशक्त करना, दूर–दराज के क्षेत्रों तक

पहुॅचने हेतु प्रत्येक जिले में मोबाइल स्वास्थ्य इकाई का प्रावधान है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य – II, इसका मुख्य भाग होगा जिसमें मातृ एवं बाल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला ग्रामीण प्रतिनिधि का चयन होगा जो **'आशा'** नाम से जानी जायेगी। वह स्वास्थ्य तंत्र को ग्रामीण समुदाय से सीधे तौर पर जोड़ेगी। इन्हें प्रशिक्षण व दवाइयॉ उपलब्ध कराई जाऐगी व मानदेय दिया जायेगा।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। इसके अन्तर्गत (बी.पी.एल.) गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार की महिला को पहले दो बच्चों के प्रसव पर 500 रूपये प्रति जीवित जन्म पर देय होगे चाहे प्रसव का स्थान का कोई भी हो। इसकी पात्रता के लिये निर्धनता की रेखा (बी.पी. एल.) से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित सभी गर्भवती महीलाएं जोः

- 19 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की हो।
- दो जीवित बच्चों के जन्म तक यह योजना लागू हो।
- तीसरे जीवित जन्म के बाद यदि माता उस स्वास्थ्य सुविधा में जहां शिशु का जन्म हुआ है, प्रसव के तत्काल बाद नसबंदी करवा लेती हैं तो वे भी जननी सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो सकेगी। किन्तु चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला के जीवित बच्चों की संख्या के बारे में प्रमाण के साथ अपनी तसल्ली करना जरूरी होगा।
- इस सहायता को प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला का पंजीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होना जरूरी है।

आर.सी.एच.कैम्प (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण की उच्चतम सेवाओं की पहुंच के लिये प्रत्येक जिले के दूर–दराज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आर.सी.एच. कैम्प आयोजित किये जाते हैं। इन शिविरों मे महिला चिकित्सा और शिशु चिकित्सक की सेवायें भी इन कैम्प में उपलब्ध कराई जाती है।

रेफरल ट्रांसपोर्ट

परियोजना के अन्तर्गत दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्रों के 25 प्रतिशत उपकेन्द्र के अन्तर्गत आर्थिक रूप ये पिछड़े महिलाओं को प्रसव सेवाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 19 जिलों के 1441 ग्राम पंचायतो को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा योजना की सफल क्रियान्विति नहीं करने से विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त योजना की पंचायतों के पास अवशेष राशि को जिला आर. सी.एच. सोसायटी के माध्यम से सम्बन्धित ए.एन.एम. को दिया गया है जिससे कि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके।

24 घंटे प्रसव सेवायें

संस्थागत प्रसव बढ़ाने, शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से प्रसव संबधी सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केन्द्रा पर 24 घंटे प्रसव सेवायें प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत डाक्टर, नर्स तथा सफाई कर्मचारी कार्यालय समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर भी प्रसव कराने के लिये उपलब्ध होगा, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बावजूद भी स्वास्थ्य की परिस्थिति उत्साहजनक नहीं है, देश के 90 समस्या प्रधान जिलों में से 27 जिले राजस्थान में है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उच्च गुणवत्ता युक्त, सर्व सुलभ एवं जवाबदेह चिकित्सा व्यवस्था विश्व बैंक की सहायता से उपलब्ध कराने के लिये'' राजस्थान हेल्थ सिस्टम्स डवलपमेंट परियोजना'' लागू किया गया है।